न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :– यशपाल आहुजा आर.ए.एस.

अनवान :– राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 44/2017

1. गुरनामसिंह पुत्र श्री हरनेकसिंह जाति तरखान निवासी कोठा तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

– – **प्रार्थी**

–:: बनाम ::–

1. स्टेट आफ राजस्थान जरिये तहसीलदार गंगानगर।
2. जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिक विभाग द्वारा अधिशाषी अभियन्ता जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिक विभाग (ग्रामीण) श्रीगंगानगर।

– – **अप्रार्थीगण**

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

बाबत रास्ता

–:: उपस्थित अभिभाषक ::–

1. श्री सुरेश कुमार अरोड़ा अधिवक्ता प्रार्थी

– :: निर्णय ::– **दिनांक :–** 18-5-17

प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के विरूद्ध जरीये अधिवक्ता राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क) के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी के नाम चक 2 ए बड़ा तहसील जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 19/10 मुरब्बा नम्बर 6, 7, 34, 46 में 4.909 हैक्टर तथा मुरब्बा नम्बर 6 व 7 का रकबा गांव कोठा के पास में स्थित है।

गांव कोठा में पक्की सड़क बनी हुई है। जो कि मुरब्बा नम्बर 7 के उत्तर में किला नम्बर 11, 12, 13, 14, 15 के साथ लगती हुई जाती है। प्रार्थी के पास मुरब्बा नम्बर 7 में किला नम्बर 20 व 22 में रकबा है, प्रार्थी इस खड़वंजा सड़क से होकर अपनें मुरब्बा नम्बर 7 के किला नम्बर 11 का शेष रकबा गांव की आबादी व खड़वंजा सड़क में आया हुआ है। केवल मात्र 3 बिस्वा रकबा ही शेष है। जो कि अप्रार्थी संख्या 2 के नाम से दर्ज है तथा अब इस में चल रहा रास्ता को अप्रार्थी बन्द करके इस जगह दिवार बनानें की कोशिश कर रहा है। अगर रास्ता बन्द करके दिवार बना दी जाती है, तो प्रार्थी का आवागमन बन्द होगा इसके अलावा उसके रकबा मुरब्बा नम्बर 7 के किला नम्बर 20 व 22 में जानें का कोई और सुगम नजदीकी रास्ता नहीं है अतः उक्त मुरब्बा नम्बर 7 के किला नम्बर 11 में चल रहे रास्ता को स्वीकृत करवाना जरूरी हो गया है।

अप्रार्थी नें वाटर वर्क्स के लिये डिग्गी मुरब्बा नम्बर 7 के किला नम्बर 12 व 19 में बना रखी है। किला नम्बर 11 की भूमि वाटर वर्क्स के पिछे आनें जानें वालो के लिये खाली है। व रास्ता के रूप में ही अरसा दराज से उपयोग में ली जा रही है। अगर अप्रार्थी विभाग किला नम्बर 11 की भूमि में दिवार बनाता है, तो रास्ता अवरूद्ध होगा व आवागमन में बाधा पैदा होगी अतः रास्ता स्वीकृत करवाना जरूरी हो गया है। वरना प्रार्थी के खेमें में जानें के लिये रास्ता बन्द हो जायेगा। इसके अलावा भूमि में आनें जानें के लिये अन्य कोई रास्ता नहीं है।

उपखण्ड अधिकारी श्रीगंगानगर

लगातार 2

अतः राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (ए) के अन्तर्गत चक 2 ए बड़ा तहसील जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 19/10 मुरब्बा नम्बर 7 के किला नम्बर 20 व 22 में जानें के लिये अप्रार्थी के रकबा चक 2 ए बड़ा के खातासंख्या 104/89 मुरब्बा नम्बर 7 के किला नम्बर 11 में से 1 बिस्वा चौड़ाई में जो कि प्रचलित है को स्वीकृत कर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करनें का आदेश फरमाया जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा जबाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिक विभाग ग्रामीण उपखण्ड श्रीगंगानगर की जल योजना 2 ए बड़ा के मुरब्बा नम्बर 7 के किला नम्बर 11 में विभाग गुरनामसिंह को 10X25 फुट का रास्ता देनें में कोई आपत्ति नहीं है। इस शर्त पर की अगर गुरनाम सिंह मुरब्बा नम्बर 7 के किला नम्बर 11 के साथ लगती जमीन के किला नम्बर 20 में से उतनी ही जगह विभाग को देता है तो।

विभाग द्वारा भूमि के बदले में भूमि दिये जानें की सहमती पर प्रार्थी गुरमानसिंह से शपथ पत्र प्रस्तुत कर चक 2 ए बड़ा के मुरब्बा नम्बर 7 के किला नम्बर 11 में 10X25 फुट का रास्ता प्राप्त करनें पर विभाग को रास्ता की भूमि के बदले में मुरब्बा नम्बर 7 के किला नम्बर 11 के साथ लगती जमीन सहमती प्रदान की है।

प्रार्थी के सुयोग्य अधिवक्ता द्वारा दोरानें बहस कथन किया कि विभाग की भूमि के बदले में विभाग को क्षतिपूर्ति हेतु भूमि देनें की सहमति के आधार पर प्रार्थी को राता स्वीकृत किया जावे।

सुयोग्य अधिवक्ता की बहस पर मनन किया गया पत्रावली का अवलोकन किया गया है बाद अवलोकन अभयपक्ष की सहमति के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क) स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

अतः राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क) के अन्तर्गत चक 2 ए बड़ा के मुरब्बा नम्बर 7 के किला नम्बर 11 में 10X25 फुट का गैर मुमकिन रास्ता स्वीकृत किया जाकर रास्ता की भूमि के बदले में अप्रार्थी जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिक विभाग ग्रामीण उपखण्ड श्रीगंगानगर की जल योजना 2 ए बड़ा मुरब्बा नम्बर 7 के किला नम्बर 11 के साथ लगती जमीन के किला नम्बर 20 में से प्रार्थी की उतनी ही भूमि विभाग के नाम दर्ज करनें की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

तहसीलदार श्रीगंगानगर को आदेशित किया जाता है, कि उक्तानुसार राजस्व अभिलेख में रास्ते का तथा रास्ते के बदले में विभाग को दी गई भूमि का नियमानुसार अमल दरामद किया जावे।

निर्णय की प्रति तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर को पालना हेतु भिजवाई जावे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

यह आदेश आज दिनांक 18.4.17 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(यशपाल आहुजा)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर